



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 885) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

I/E 2@vkjki&01&17@2019&10123@lk0c0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 सितम्बर 2021

श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 938/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक, सारण के विरुद्ध सारण समाहरणालय, छपरा के पत्रांक 114 (अनु0) दिनांक 14.08.2019 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रभाकर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है :-

1. सारण जिलान्तर्गत मशरक प्रखंड के पदस्थापन काल में श्री प्रभाकर द्वारा प्रखंड/पंचायत में वर्ष-2007-08 में इंदिरा आवास योजना की प्रति लाभुक स्वीकृति राशि 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये में प्रत्येक लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मो0-24000/- (चौबीस हजार) रुपये का भुगतान किया गया था।
2. संचिका संख्या-01/(लो0पंचायत)-224/2012 में दर्ज सारण जिला अन्तर्गत मशरक प्रखंड/पंचायत में इंदिरा आवास योजना की राशि का फर्जी निकासी मामले में माननीय सदस्य न्यायिक, लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 16.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण के पत्रांक 3714 दिनांक 28.12.2018 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक से अपूर्ण इंदिरा आवास के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के पत्रांक 153 दिनांक 16.02.2019 द्वारा विषयांकित वाद से संबंधित वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक इंदिरा आवास के कुल-94 अपूर्ण/अधूरे आवासों की विवरणी उपलब्ध करायी गया, जिसमें संबंधित लाभुकों को प्रथम/द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि की विवरण अंकित किया गया है।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पाया गया है कि श्री प्रभाकर द्वारा वर्ष 2007-08 में इंदिरा आवास के स्वीकृत की गई योजनाओं में से 30 योजनाएँ अपूर्ण हैं, जिसमें लाभुकों को योजना की स्वीकृत राशि मो0-25000/- (पच्चीस हजार) में से प्रथम किस्त की राशि 24000/- (चौबीस हजार) रुपये का भुगतान प्रत्येक लाभुक को श्री प्रभाकर द्वारा किया जा चुका है।

5. चूँकि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में विभागीय नियमों/अनुदेशों का अनुपालन का सुनिश्चित कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होता है, जिसके आलोक में योजनाओं का भौतिक सत्यापन/पर्यवेक्षण समय-समय पर इनके द्वारा नहीं किया गया फलस्वरूप योजनाएं अपूर्ण रहे साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक द्वारा पत्रांक 261 दिनांक 13.03.2019 से मशरक थाना काण्ड सं0 97/2019 दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कार्यालय का पत्रांक 5753/लोक0 दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद संख्या-1/लोक (पंचायत)-224/2012 में सारण जिला अन्तर्गत मशरक प्रखंड में इंदिरा आवास योजना में राशि का फर्जी निकासी के लिए तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है कि श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक, सारण एवं अन्य दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय।

श्री प्रभाकर के विरुद्ध विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। गठित आरोप-पत्र पर श्री प्रभाकर का स्पष्टीकरण बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि0, खाद्य भवन, पटना के माध्यम से प्राप्त है।

श्री प्रभाकर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के अनुसार श्री प्रभाकर द्वारा वर्ष 2007-08 में इंदिरा आवास के स्वीकृत की गई योजनाओं में से 30 योजनाएं अपूर्ण है, जिसमें लाभुकों को योजना की स्वीकृत राशि मो0-25000/-(पच्चीस हजार) में से प्रथम किस्त की राशि 24000/-(चौबीस हजार) रुपये का भुगतान प्रत्येक लाभुक को श्री प्रभाकर द्वारा किया जा चुका है। चूँकि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में विभागीय नियमों/अनुदेशों का अनुपालन का सुनिश्चित कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होता है, जिसके आलोक में योजनाओं का भौतिक सत्यापन/पर्यवेक्षण समय-समय पर इनके द्वारा नहीं किया गया फलस्वरूप योजनाएं अपूर्ण रहे साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक द्वारा पत्रांक 261 दिनांक 13.03.2019 से मशरक थाना काण्ड सं0 97/2019 दर्ज किया गया है। श्री प्रभाकर द्वारा लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष प्रयास नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप वांछित लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल सका एवं सरकारी राशि का दुर्विनियोग हुआ। उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजना लोक कल्याणकारी योजना है एवं उसके कार्यान्वयन में एक लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरता जाना कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री प्रभाकर का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रभाकर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति का है। श्री प्रभाकर के द्वारा की गयी अनियमितता के कारण वांछित लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल सका एवं सरकारी राशि का दुर्विनियोग हुआ। इंदिरा आवास योजना लोक कल्याणकारी योजना है एवं उसके कार्यान्वयन में एक लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरता जाना कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रभाकर के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के लिए (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 938/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक, सारण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) fuUnu %vkjki o"K 2007&08%

(ii) v l p ; kRed cHkko l : nk oruof) ij jkdA

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 885-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>